

उपवान - रामी बनाम रामदास  
 पु.नं. - 54/2015

# लय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

## फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। सायबान की अपील  
 श्री अशोक नीमका द्वारा उपस्थिति दी। पत्रावली  
 नार्थ 026 R9 बरखदर व बकालतनामा दि  
 8-3-2024 को पेश की।

सायबान की  
 ऑरिजिनल  
 A-

3 पत्रावली पेश हुई बकुलाय  
 उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार  
 नार्थ 026 R9 बरखदर व  
 बकालतनामा  
 दिनांक 1-4-2024 को पेश हो।

4 पत्रावली पेश हुई बकुलाय  
 उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार  
 नार्थ 026 R9 बरखदर व  
 बकालतनामा  
 दिनांक 20-5-2024 को पेश हो।

8 पत्रावली प्रवरल हरीश पेशी में पेश  
 बकुलाय उपस्थित। पत्रावली नार्थ  
 026 R9 बरखदर व बकालतनामा  
 दि 31-8-2024 को पेश की।

पत्रावली पेश हुई। सायबान व सायबान उपस्थित नहीं है।  
 प्रकरण में सायबान व सायबान वकील को बार-बार आवाज लगावायी  
 गयी आवाज लगावने के बावजूद सायबान व सायबान वकील उपस्थित  
 नहीं हुए। जिससे जाहिर होता है कि सायबान व सायबान वकील प्रकरण  
 को सायबान चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः पु.नं. 54/2015 प्रकरण T.I. रामी बनाम  
 रामदास अदम हाजरी व अदम पेशी में शारीर खिजापारा है।  
 पत्रावली के अंतर्गत (छेकें 2 नंबर से कम)

उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटी (कौली)

